REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-10092024-257038 SG-DL-E-10092024-257038

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

[रा.रा.स.े.दि. सं. 178 दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2024/भाद्र 15, 1946 सं. 229] [N. C. T. D. No. 178 DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2024/BHADRA 15, 1946 No. 229]

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (सामान्य) विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 3 सितम्बर, 2024

सं.फा. 9/09/2010/गृह सा./1955-1961.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. 27 / 59-एचआईएन (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 06.09.2018 की इस सरकार की अधिसूचना सं.फा. 9/09/2010/गृह (सा0) / 2297-2303 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से संबंधित पहले की गई या किए जाने के लिए हटाई जाने वाले बातों को छोडकर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा दिल्ली कारागार विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में "मैट्रन" के पद हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:—(1) इन नियमों को दिल्ली कारागार मैट्रन, भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए। 1.
- ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- (2) पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन का स्तर:- उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में 2. वेतन स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि:—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे 3. संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यता:-ऐसा कोई भी व्यक्ति-

(1)

- (क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति / पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या
- ख) जो एक जीवित पति / पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगाः

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है / हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

- 5. शिथिल करने की शक्ति :-जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों / पदों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।
- 6. बचाव:—इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	T	_	3,741
1.	पदनाम	:	मैट्रन
2.	पदों की संख्या	:	176 *(2024) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100 / -रुपये)
5.	क्या चयन मैरिट आधार पर है अथवा चयन — सह वरिष्ठता अथवा गैर चयन पद है	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18-25* वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय।)
	\$46. \sigma*		टीप: आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विज्ञापित होगी। * यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों को भरा जाना हो, तो आयु सीमा 18 वर्ष तथा 27 वर्ष के बीच होगी।
7.	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताऍ		I. शैक्षिक योग्यताएं :- अनिवार्यः- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्थान से 10+2 (सीनियर सैकेंडरी) उत्तीर्ण II. शारीरिक मापन का मानक:- ऊंचाई : 157 सें0मी० (गोरखा / गढ़वाली / डोगरा तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों के लिये 5 सें0मी० तक छूट)। टीपः शारीरिक मापदंड के लिये कोई छूट ग्राह्य नहीं। III. चिकित्सा मानक (क) दृष्टि 6/6 बिना चश्मा के दोनों आंखें, रंग अंधता से मुक्त। (ख) प्रत्याशियों के घुटने आपस में न भिडें, पैर सपाट न हो, आंखों में स्फीत / शिरा या भेंगापन न हो और उनकी रंग पहचान क्षमता संबंधी दृष्टि उत्कृष्ट होनी चाहिए।
			(ग) उनका मानर्सिक और शारीरिक स्वास्थ्य अवश्य श्रेष्ठ हो और वे किसी भी प्रकार के शारीरिक दोष से मुक्त हो, अपने कर्त्तव्यों



	को कुशलतापूर्वक करने में किसी प्रकार की बाधा की संभावना न हो ।
	IV. (क) शारीरिक क्षमता परीक्षा (पीईटी):
	(क) चार मिनट में 800 मीटर दौड़
	टीपः जिन्होंने दौड़ उत्तीर्ण कर ली है वे आगे निम्नलिखित परीक्षाओं के योग्य होंगेः
	(ख) 9 (नौ) फुट लम्बी कूद (तीन अवसरों में उत्तीर्ण करना होगा)।
	(ग) 3 (तीन) फुट ऊंची कूद (तीन अवसरों में उत्तीर्ण करना होगा)।
	(ख) महिला भूतपूर्व सैनिक के लिये शारीरिक क्षमता परीक्षा (पीईटी):
	(क) 800 मीटर की दौड़:— आयुवार — समय 30 वर्ष तक — 4 मिनट 31 से 40 वर्ष — 4, 1/2 मिनट 41 वर्ष तथा अधिक — 5 मिनट
Saligo SDE plants of a second	(ख) लम्बी कूद:— आयुवार (तीन अवसरों में उत्तीर्ण करना होगा) 30 वर्ष तक — 9 फुट 31 से 40 वर्ष— 8 फुट 41वर्ष तथा अधिक— 7 फुट
	 (ग) ऊंची कूद:— आयुवार (तीन अवसरों में उत्तीर्ण करना होगा) 30 वर्ष तक — 3' 31 से 40 वर्ष— 2' 9" 41 वर्ष अधिक— 2' 6"
 क्या सीधी मर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारितः शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नित वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी। 	ः लागू नहीं
9. परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	: दो वर्ष
10. भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या	: सीधी भर्ती द्वारा
प्रतिनियुक्ति/पदोन्निति/समावेशन द्वारा तथा	
विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों	टीप:- पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या दीर्घकालिक
का प्रतिशत	क्रग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक
The state of the s	वर्ष की अवधि या अधिक अवधि के लिये हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों में से
a Chryston and tensor	प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेगी ।
Canada adatasa Akara atau ay mana ay mana ay	(ग).(i) नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा
	(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200/-रुपये) के पदों
A pager of the relief of the second of the relief of the r	भी अपने नी स्विमित सेवा सिंहत तथा (ख) कॉलम (7) के अर्न्तगत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता रखने वाले ।
11. यदि भर्ती पदोन्नित / प्रतिनियुक्ति / समावेषन द्वारा होनी हो तो ग्रेड जिनसे	ः लागू नहीं
पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया	

		_	
12.	जाना है यदि कोई विभागीय पदोन्नित समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) 1. प्रधान सचिव / सचिव (ऊर्जा) — अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष — सदस्य 3. उप—सचिव (वित्त) — सदस्य टीप :- यदि विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी अन्य सदस्य से किनिष्ठ है, तो विभागीय स्थायीकरण समिति का विष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।		लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राजीव कुमार त्यागी, उप सचिव

टीप: मूल अधिसूचना दिनांक 26.04.2012 की सं.फा. 9/09/2010—गृह(सा0)/1699—1705 के द्वारा अधिसूचित की गई थी तथा बाद में निम्नानुसार संशोधित की गई:—

		2 !
	फाइल संख्या	दिनाक
क्र.सं.		06.09.2018
1	फा. 9/09/2010—गृह(सा0)/2297—2303	

HOME (GENERAL) DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 3rd September, 2024

No. F.9/09/2010/HG(G)/1955-1961.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. F.27/59-Him (i) dated, the 13th July, 1959 and in supersession of this Government's Notification No. F.9/09/2010/Home (G)/2297-2303 dated 06.09.2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make rules for the post of Matron in the Delhi Prisons Department, Government of National Capital Territory of Delhi, as following namely:-

- 1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Delhi Prisons Matron Recruitment Rules, 2024.
- (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.
- 2. Number of posts, classification and level of pay-The number of the said post, its classification and the pay level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of Recruitment, age-limit, qualification etc.,-The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualifications-No Person:-
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to Relax:-Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving:-Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

NAME OF THE POST.	NUMBER OF POSTS.	CLASSIFICATION.	LEVEL IN THE PAY MATRIX.	WHETHER SELECTION BY MERIT OR SELECTION CUM SENIORITY OR NON SELECTION POST.	AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS.	EDUCATIONAL AND OTHER, QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) Matron	(2) 176* (2024) * Subject to variation dependent on workload	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted Non- Ministerial	LEVEL-3 (Rs. 21700 - Rs. 69100) in the pay matrix	Not Applicable	Between 18-25* years (The upper age limit is relaxable for departmental	I. Educational Oualifications:- Essential:- 10+2 (Senior Secondary) pass from a recognized board/institute. II. Standard of Physical Measurement:- Height: 157 cms. (relaxable by 5 cms for candidates belonging to Gorkhas/Garhwali/Dogras and Scheduled Tribe candidates). Note: No relaxation permissible for Physical standard. III. Medical Standard:- (a) Vision 6/6 without glass both eyes, free from colour blindness. (b) The candidates must not have bow-legged, knock-knees, flat-feet varicose vein or squint in eyes and they should possess high colour vision. (c) They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect which is likely to interfere with the efficient performance of the duties. IV. (A) Physical Endurance Test (PET):- a. 800 Mts Race in 04 Minutes. Note: Those who qualify in
					***	the race shall be further eligible to appear in the following tests: b. Nine feet Long Jump (qualifying in three chances). c. Three feet High Jump

76/C

				(qualifying in thr	
				(B). Physical Enduran Test (PET) for female E Servicemen:-	nce Ex-
				a. Race of 800 Meters:-	
			3. 4.5.	Age wise - Time	
	•			Upto 30 years - Minutes	4
	•	3		Minutes	41/2
		28		From 41 & above Minutes	- :
		_	TO SERVE TO	b. Long Jump:-	
				Age wise (qualifying three chances)	, i
				Upto 30 years-9 feet	
				From 31 – 40 years-8 fe	eet
				From 41 & above- 7 fe	
1 1 1 1 1 1				c. High Jump:-	
				Age wise (qualifying three chances)	g
				Upto 30 years- 3'	
				From 31 – 40 years-2'	9"
				From 41 & above- 2' 6	

AGE AND EDUCATIONAL QUALIFI- CATION PRESCRIBED FOR THE DIRECT RECRUIT WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES.	PERIOD OF PROBA- TION, (IF ANY).	METHOD OF RECRUITMENT, WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT OR BY DEPUTATION / PROMOTION/ABSORP TION AND PERCENTAGE OF VACANCIESTO BE FILLED BY VARIOUS METHODS.	IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION/ DEPUTATION/ABSORP TION GRADES FROM WHICH PROMOTION/DEPUTAT ION/ABSORPTION TO BE MADE.	MENTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS WHAT IS ITS COMPOSITION	CIRCUMSTANC ES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT.
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	2 years	By direct recruitment Note: vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filed on deputation basis from officers of Central Govt./States Govt./UTs. (a) (i) holding analogous posts on regular basis: or (ii) with 3 years regular service in the post in the Level-2(Rs. 19900-63200) in the pay matrix; and (b) possessing the qualify cation prescribed for direct recruits under	Not applicable	Group C' DCC (for considering confirmation) 1. Principal Secretary/ Secretary (Power) Chairman. 2. Head of Department concerned -Member. 3. Deputy Secretary (Finance) -Member Note:- Senior most member of the Departmental Confirmation committee shall act as	

[PART IV

DELHI GAZETTE: EXTRAORDINARY

column (7).	Chairperson in case notified
	Chairperson of
	the
	Departmental
	Confirmation
	committee
	happens to be
	junior to another
	member of the
	Departmental
	Confirmation
1.	Committee.

By Order and in the Name of the Lt. Governor

of National Capital Territory of Delhi,

RAJEEV KUMAR TYAGI, Dy. Secy.

Note:- The Principal Notification was notified vide No. F.9/09/2010/Home(G)/1699-1705 dated 26.04.2012 and subsequently amended as under:—

Sl. No.	File No.	Date	
1	F.9/09/2010/Home (G)/2297-2303	06.09.2018	